कार्यालय संचालक
जल सहायता संगठन, राज्य जल मिशन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल म0प्र0

// आदेश //

क्रमांक 22 /संचा./ज.स.सं./रा.ज.मि./लो.स्वा.यां.वि./2013 भोपाल, दिनांक **01.07.2013**

जल सहायता संगठन, राज्य जल मिशन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल म0प्र0 में विज्ञापन क्रमांक जी–20388 दिनांक 18.09.2012 एवं जी–21991 दिनांक 07.11.2012 के विरूद्ध चयनित उम्मीदवारों को **विकासखण्ड स्तरीय संयोजक (तकनीकी) कंसल्टेंट** के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित पदस्थापना वाले जिले में एक वर्ष के लिए संविदा आधार पर मानदेय रू0 10150/– (रूपये दस हजार एक सौ पचास) मात्र प्रतिमाह पर नियुक्त किया जाता है।

क्र.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पदस्थापना जिला	पदस्थापना ब्लाक
1	2	3	4	5
1	श्री ब्रजेश कुमार सक्सेना	श्री भैयालाल सक्सेना	विदिशा	गंजबासोदा
2.	श्री अभिषेक चतुर्वेदी	श्री पुरूषोतम चतुर्वेदी	टीकमगढ़	निवाड़ी
3.	श्री योगेश सिंह भदोरिया	श्री रमेश सिंह भदोरिया	भिण्ड	अटेर
4.	श्री राम किशोर उपाध्याय	श्री बिहारी लाल उपाध्याय	छतरपुर	बक्सवाहा
5.	श्री राकेश रतन सिंह	श्री पंचराज सिंह	सीधी	रामपुरनैकिन

अभ्यर्थियों को दिनांक 15 जुलाई 2013 तक निम्नांकित शर्तो के अनुरूप संबंधित जिले में पदभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित किया जाता है :–

संविदा की शर्ते :–

1. जिस जिले में नियुक्ति दी गई है, उस जिले के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का मूल चिकित्सा प्रमाण पत्र कार्य पर उपस्थित होने के एक माह की अवधि में संबंधित जिले के कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड को प्रस्तुत करना होगा।
2. **अनुबंध–संविदा** पर प्रथम नियुक्ति के समय नियुक्त अभ्यर्थियों को संचालक जल सहायता संगठन, राज्य जल मिशन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल से 100 रू0 के नान–ज्युडिशियल स्टाम्प पर बांड निष्पादित करना होगा, जिसके निष्पादन पर होने वाला समस्त व्यय अभ्यर्थियों द्वारा वहन किया जावेगा। निष्पादित अनुबंध की सत्यापित छायाप्रति पदस्थापना वाले जिले में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अनुबंध के साथ ही अर्हता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं अनुभव सम्बन्धी समस्त दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रतियाँ

भी संलग्न करें एवं मूल दस्तावेज सम्बन्धित कार्यपालन यंत्री को अवलोकन हेतु प्रस्तुत करें। तदुपरांत ही संबंधित जिले के कार्यपालन यंत्री द्वारा उपस्थिति मान्य की जा सकेगी।

3. संविदा नियुक्ति पर नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएँ निर्धारित अवधि के पूर्व संस्था द्वारा बिना किसी नोटिस के समाप्त की जा सकेगी।
4. संविदा पर नियुक्त अभ्यर्थी एक माह का पूर्व नोटिस देकर अथवा एक माह का पारिश्रमिक नगद जमा कर संविदा सेवा से त्याग पत्र दे सकता है।
5. संविदा पर नियुक्त अभ्यर्थी बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/निर्देश के कोई भी सूचना/जानकारी किसी अन्य व्यक्ति अथवा अन्य विभाग को कोई भी माध्यम से नहीं देगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नहीं करेगा।
6. कार्यालय में संविदा सेवा अवधि के दौरान अन्य किसी भी प्रकार के संस्थानों /कार्यालयों में कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तौर पर किसी भी प्रकार के व्यापार /व्यवसाय करने पर प्रतिबंध लागू रहेगा।
7. संविदा पर नियुक्त अभ्यर्थी को समय–समय पर सौंपे गये अन्य समस्त कार्यालयीन कार्य भी संपादित करने होगें।
8. संगठन/विभाग द्वारा समय–समय पर संविदा नियुक्ति के संबंध में जारी आदेश / संशोधन इस संविदा नियुक्ति पर भी लागू / बंधनकारी होगें।
9. संविदा पर नियुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत एवं उसके दायित्वों से संबंधित प्रशिक्षण में अनिवार्य रूप से भाग लेना होगा।
10. संविदा पर कार्यभार ग्रहण करने वाले अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करने की सूचना संबंधित जिलों के कार्यपालन यंत्री के माध्यम से भेजेगें। कार्यपालन यंत्री अभ्यर्थियों द्वारा पद ग्रहण करने की सूचना संचालक, जल सहायता संगठन, राज्य जल मिशन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल को भेजगें।
11. संविदा पर नियुक्त अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों को लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जायेगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति, बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
12. संविदा पर नियुक्त अभ्यर्थी के कदाचार या किसी अपराधिक क्रियाकलाप में संलग्न होने पर नियुक्त प्राधिकारी ऐसी संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेगा।
13. चयनित अभ्यर्थी उसकी पद स्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संविदा में माना जावेगा। यदि संविदा पर नियुक्त कोई व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट कारण के और

2/-

बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से एक माह से अधिक के लिये अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा नियुक्ति, ऐसी अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जावेगी।

14. विवाद की स्थिति में विभाग / संगठन के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
15. **आकस्मिक अवकाशः–** संविदा पर नियुक्त अभ्यर्थी को नियमानुसार एक वर्ष में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी। स्वीकृति का यह अधिकार संबंधित जिले के कार्यपालन यंत्री को होगा।
16. संविदा पर अभ्यर्थी को स्थायीकरण हेतु पात्रता नहीं है और वह भविष्य में नियमितीकरण / स्थाई करण संबंधी कोई दावा नहीं करेगा।
17. दिनांक 15 जुलाई 2013 तक पदभार ग्रहण न करने की स्थिति में यह पदस्थता आदेश स्वतः ही समाप्त हो जावेगा।

01/7/13
संचालक
जल सहायता संगठन,
राज्य जल मिशन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
सतपुड़ा भवन भोपाल

पृष्ठा. क्रमांक 201 / संचा. / ज.स.सं. / रा.ज.मि. / लो.स्वा.यां.वि. / 2013 भोपाल, दिनांक 1/7/2013

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक माननीय मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
4. प्रमुख अभियंता (सलाहकार), लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. मुख्य अभियंता (समस्त) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
6. अधीक्षण यंत्री (समस्त) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
7. कार्यपालन यंत्री (समस्त) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
8. संबंधित श्री .... पिता का नाम श्री .... पता .... की ओर पालनार्थ।
9. आदेश नस्ती।
10. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

01/7/13
संचालक
जल सहायता संगठन,
राज्य जल मिशन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
सतपुड़ा भवन भोपाल